प्रेस विज्ञप्ति

30.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में बिचौलिए प्रसन्न कुमार रॉय और उसके मुख्य एजेंट चंदन मंडल को क्रमशः 28.11.2024 और 26.11.2024 को गिरफ्तार किया है। दोनों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 02.12.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के पदों पर अवैध नियुक्ति के मामले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और नीचे रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित किया गया और निष्पक्षता बनाए रखे बिना, संबंधित नियमों का उल्लंघन करके एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची गई। इसके अलावा, सीबीआई के आरोपपत्रों से पता चला कि कुल 3432 (1125 ग्रुप 'सी' + 2307 ग्रुप 'डी') उम्मीदवारों को डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों के लिए अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था।

इसके अलावा, इस मामले में पहले ईडी ने प्रसन्न कुमार रॉय, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी मेसर्स दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 25.10.2024 के पीएओ के जरिए **163.20 करोड़ रुपये** (जमीन के टुकड़े, होटल और फ्लैट) की अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल राज्य में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में, प्रसन्न कुमार रॉय, उनके परिवार के सदस्यों और उनके और अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित और संचालित कंपनियों/एलएलपी के पास **230.60 करोड़ रुपये** की अचल संपत्ति भी 10.04.2024 के पीएओ के तहत कुर्क की गई है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 393.80 करोड़ रुपये की है।आगे की जांच हो रही है।